

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), देसूरी (पाली)

वीरिन्द कुमार बनाम पुरवराण

किस्म मुकदमा रा.वि नम्बर 35 सन 2012

अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल्स</p> <p>17 वकील प्रार्थीगण उपस्थित वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17.11.17 को पेश हों।</p> <p>सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी</p> <p>वकील प्रार्थीगण उपस्थित अप्रार्थीगणों के नोटिस अहकाम जामिल प्राप्त है। वकील प्रार्थी गणों पर लखित P/I नोटिस पेश करे। पत्रावली दिनांक 30.11.17 को पेश हो।</p> <p>S.D.O. देसूरी</p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

28/5/24
पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठारोम
अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली
दिनांक 12/6/24 को पेश हो।

शेडर

12/6/24

वकुलाम उपस्थित। मुल वाद जजिमे विद्वान
स्वार्थित हो चुका है। मुल वाद के अभाव में अधिका
र्य चलते प्रोपगण्टी है। लिखित अधिका-पर
अन्वगत धारा 212 रजि अरल. रजि सपटि
धारा 39 रिपम 1 व 2 व धारा 151 सी.जी.सी.
स्वार्थित किया जाकर पत्रावली प्रसल कुमार
होकर मुल वाद के संलग्न पत्रावली है।

बिबुधा

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देहरी (पाली)